रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 1971/माघ 8, 1892

No. 82] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 1971/MAGHA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January 1971

S.O. 574.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 49 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Election Commission hereby directs that in the election to the House of the People from the State of Nagaland and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 27th January, 1971, the method of voting by ballot shall be followed at all the polling stations provided for the parliamentary constituency of that State/Union Territory.

[No. 464/HP/71(2).]

By Order,

A. N SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1971

एस० ओ० 574.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 के उपनियम (1) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii) के असाधारण अंक में तारीख 27 जनवरी, 1971 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, नागालैंड राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचनों में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपबंधित समस्त मतदान केन्द्रों पर मतपत्र द्वारा मतदान की पद्धति का अनुसरण किया जाएगा ।

[सं० 464/लो० स०/71(2).]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971